

परियोजना का नाम:- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में हनुमानचट्टी से पिडकी मदेश मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय मानचित्र

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

वृक्षारोपण स्थल का नाम.....क्षेत्रफल 6.00 हे०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या 12000 पौधे

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे एवं सीमांकन	प्र० हे०	-	92.00	-	552.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	प्र० हे०	-	1214/-	-	7284.00
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 24 घांती प्र० हे०	प्र० घांती	-	248/-	-	122472.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे - खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्य हेतु प्राविधान	प्र० म०	-	7040/-	-	42240.00
5	गड्ढा खुदान (0.30X0.30 X0.45)	प्र० ग०	-	5.70/-	-	68400.00
6	निरीक्षा बटिया बनना	प्र० ट	-	373/-	-	2238.00
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	प्र० पौ०	-	458/-	-	54960.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयंत्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्य पर व्यय	प्र० हे०	-	376/-	-	2256.00
9	अन्य कार्य	-	-	-	-	-
	योग- प्रथम चरण				योग	300402.00

द्वितीय चरण

1	गड्ढा भरान कार्य (0.30X0.30 X0.45)	प्र० ग०	-	0.92	-	11640.00
---	------------------------------------	---------	---	------	---	----------

3	पौध ढुलान कार्य	७० पैर	-	5.00	-	60000.00
4	पौधरोपण व थालाबन्दी	७० पैर	-	2.00	-	24000.00
5	निराई गुडाईव मल्लिंग (दो बार)	७० पैर	-	2.00	-	24000.00
6	खाद व दवा पर व्यय	७० पैर	-	16.00	-	1920.00
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	१ माह	-	5280.00	-	47520.00
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत					
	सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	७० है	-	282.00	-	1692.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	७० है	-	213.00	-	1278.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रात्साहन देना।	७० है	-	666.00	-	3996.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से गचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार-प्रसार एवं डेक्कूमैटेशन आदि कार्य।	७० है	-	1021.00	-	6126.00
	अन्य कार्य	-	-	-	-	-
	योग द्वितीय चरण				=	148892.00

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य।	12 माह	-	5280.00	-	63360.00
2	अन्य कार्य	१० है	-	1161.00	-	6966.00
	योग।				=	70326.00

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में	12 माह	-	5280.00	-	63360.00
---	---------------------------------------	--------	---	---------	---	----------

	अनुरक्षण कार्य।	३०६	-	1161=५	-	6966.५
2	अन्य कार्य					
	योग।				=	70326.५

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में	1271६	-	5280/-	-	63360=५
	अनुरक्षण कार्य।					
2	अन्य कार्य	३०६		1161/-		6966.५
	योग।				=	70326.५

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में	1271६	-	5280=५	-	63360.५
	अनुरक्षण कार्य।					
2	अन्य कार्य	३०६	-	1161=५	-	6966.५
	योग।				=	70326.५

वृक्षारोपण का पाँचवे वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पाँचवे वर्ष में	1271६	-	5280=५	-	63360.५
	अनुरक्षण कार्य।					
2	अन्य कार्य	३०६		1161=५		6966.५
	योग।				=	70326.५

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में	1271६	-	5280/-	-	63360=५
	अनुरक्षण कार्य।					
2	अन्य कार्य	३०६	-	1161/-	-	6966.५
	योग।				=	70326.५

वृक्षारोपण का सातवा वर्ष का रख-रखाव

(67)

1	रोपण वर्ष के उपरान्त सौतवा वर्ष में	12714	-	5280/-	63360.00
	अनुरक्षण कार्य।				
2	अन्य कार्य	908	-	1161/-	6966.00
	योग।				= 70326.00

वृक्षारोपण का अष्टम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष में	12714	-	5280/-	63360.00
	अनुरक्षण कार्य।				
2	अन्य कार्य	908	-	1161/-	6966.00
	योग।				= 70326.00

वृक्षारोपण का नवम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष में	12714	-	5280/-	63360.00
	अनुरक्षण कार्य।				
2	अन्य कार्य	908	-	1161/-	6966.00
	योग।				= 70326.00

वृक्षारोपण का दशम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त दशम वर्ष में	12714	-	5280/-	63360.00
	अनुरक्षण कार्य।				
2	अन्य कार्य	908	-	1161/-	6966.00
	योग।				= 70326.00

योग - 819540.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत:- 519540.00

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

अपर भुमना वन-प्रभाग, कन्नौज

नोट:- भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-168/2009-एफ0सी0 दिनांक 14.2.2012 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 07 से 10 वर्ष तक रख-रखाव करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर निर्धारित कर प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रेषित की जाती है। उक्त दर में वृक्षारोपण का तीन वर्ष तक रख-रखाव का प्राविधान होता है। प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा उक्त दर में वृक्षारोपण के 07 से 10 वर्ष तक का रख-रखाव हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रावकलन में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान किया जायेगा।